राजनीति विज्ञान

कक्षा - 11

"स्थानीय शासन"

श्रीमती इन्दुबाला वर्मा

'प्रवक्ता'

रा० इ० का०-मानले

पिथौरागढ़।

स्थानीय शासन

गाँव तथा जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं।

<u>निर्वाचित सरकार</u> :- वह सरकार जिसका चुनाव जनता के वोट द्वारा हुआ है।

<u>लोकतन्त्र</u> :- जिस शासन प्रणाली में जनता में ही सारी शक्ति निहित हो उसे लोकतन्त्र कहते हैं।

<u>सत्ता का विकेन्द्रीकरण</u> :- शासनाधिकार को केन्द्र से हटाकर स्थानीय पंचायतों को देना सत्ता का विकेन्द्रीकरण होता है।

<u>हस्तान्तरण</u> :- जब कोई अधिकार एक हाथ से दूसरे हाथ में दिया जाता है तो वह हस्तान्तरण कहा जाता है।

<u>पर्यावरण</u> :- हमारे आस-पास का परिवेश जिसमें मानव रहता है, वस्तुएँ मिलती हैं तथा उनका विकास होता है।

- 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की 28% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है।

- गीता राठौड़ मध्य प्रदेश के जिला सिहोर के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। वह 1995 व 2000 में अपने अच्छे कार्यों के लिए सरपंच चुनी गई उसने जनशक्ति का उपयोग तालाब को पक्का बनाने, स्कूल की इमारत व ग्राम की सड़क बनाने में किया।

- 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने अपने 71 सरकारी कर्मचारियों को 'वेंगैवसल' ग्राम पंचायत की 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की।

- गाँधीजी के अनुसार आजादी की शुरुआत सबसे निचले स्तर अर्थात ग्रामीण से होनी चाहिए।

स्थानीय सरकार क्यों ?

गाँव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। इसका विषय आम-नागरिकों की समस्याएँ और उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी है, यह लोगों के सबसे नजदीक होता है इसी कारण की समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्च में हो जाता है। लोकतन्त्र के लिए यह जरूरी है कि आम जनता राज्य या केन्द्र-सरकार से ज्यादा स्थानीय शासन से ज्यादा परिचित होती है क्योंकि इसका सीधा असर उनकी रोजमर्रा की जिन्दगी पर पड़ता है।

भारत में स्थानीय शासन का विकास

स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय 1882 के बाद "लार्ड रिपन" के समय शुरू हुए। उन दिनों इसे मुकामी बोर्ड (Local Board) कहा जाता था।

गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट - 1919 के बनने पर अनेक राज्यों में ग्राम-पंचायतें बनी। विकास को सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक होती है। पंचायत को सहभागी लोकतन्त्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया।

स्वतन्त्र भारत में स्थानीय शासन

1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) के पीछे यह सोच थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधि में जनता की भागीदारी हो जिसके लिए ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई।

1989 में पी० के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की जिसमें स्थानीय शासन के चुनाव समय-2 पर कराने उनके समुचित सूची तैयार करने और इन संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में सिफारिश की गयी।

संविधान का 73 वां और 74 वां संशोधन :- 1989 में केन्द्र सरकार ने दो संविधान संशोधनों पर विचार किया जिसका लक्ष्य स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एकरूपता लाना था। 1992 में इन संशोधनों को संसद ने पारित किया। 73 वां संशोधन गाँव के स्थानीय शासन से जुड़ा है जिसका सम्बन्ध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। 74 वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन (नगरपालिका) से जुड़ा है। 1993 में 73 वां और 74 वां संशोधन लागू हुए। स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। राज्यों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपने स्तर से कानून बनायें।

73 वां संशोधन

त्रिस्तरीय बनावट :- सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले (नीचे) ग्राम पंचायत आती है। जिसमें एक या एक से अधिक गाँव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर मण्डल का है जिसे खण्ड (Block) कहा जाता है। सबसे ऊपर जिला पंचायत का स्थान है जिसमें जिले के समस्त गाँव आते हैं। संविधान के 73वें संशोधन में यह प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाय जिसमें हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा का भूमिका और कार्यों का फैसला राज्य के कानूनों से होता है।

चुनाव :- इसके तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है जिसकी अवधि 05 वर्ष होती है यदि इससे पहले पंचायत भंग होती है तो 06 माह के अन्दर नये चुनाव करवाने होते हैं।

आरक्षण :- सभी पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। आवश्यक होने पर राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दे सकती है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है।

विषयों का स्थानांतरण :- 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब 11वीं अनुसूची में दर्ज हैं जिनको पंचायती राज-संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाना है, प्रत्येक राज्य यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों में शामिल करना है।

राज्य चुनाव आयुक्त :- राज्य एक चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे जिसका कार्य पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करना होगा। राज्य का चुनाव आयुक्त एक स्वतन्त्र अधिकारी है, उसका या उसके कार्यालय का सम्बन्ध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता।

राज्य वित्त आयोग :- राज्य सरकार प्रत्येक 05 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाती है जो स्थानीय शासन की माली हालत का जायजा लेता है यह प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच और शहरी और ग्रामीण शासन के संस्थाओं के बीच राजस्व के बँटवारे का पुनरावलोकन करता है।

74वाँ संशोधन :- मुम्बई जैसे महानगरों को पहचानना आसान है पर जो इलाके गाँव और नगर के बीच के होते हैं उनकी पहचान करना कठिन है, भारतीय जनगणना के अनुसार ऐसे इलाके जहाँ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो 75% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लगे हों और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी० हो उन्हीं शहरी क्षेत्र माना है, 74वें संशोधन में यह बात अनिवार्य बना दी गयी है कि राज्य सरकार कुछ निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की संस्थाओं पर छोड़ दे जो संविधान की 11वीं अनुसूची में लिखे गये हैं।

73वें व 74वें संशोधन का निर्वहन :- ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या करीब 600, ब्लाक-पंचायतों की संख्या 6000, तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,50,000 है शहरी में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1400 नगरपालिका तथा 2000 नगर-पंचायत हैं, प्रत्येक 05 वर्ष में इन निकायों के लिए 32,00000 सदस्यों का निर्वाचन होता है, पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण इनकी संख्या में भारी वृद्धि हुई है, आज कम से कम

200 महिलाऐं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाऐं ब्लाक पंचायत की अध्यक्ष हैं। महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है। नगर निगमों में 40 महिलाऐं मेयर हैं। नगरपालिकाओं में 500 से अधिक महिलाऐं अध्यक्ष हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं के हाथ में है।

स्थानीय निकायों के पास धन बहुत कम होता है वे राज्य और केन्द्र सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। शहरी निकायों का राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है और 4%. इनके द्वारा व्यय होता है इस प्रकार ये कमाते कम और खर्चा ज्यादा करते हैं और अनुदान पर निर्भर होते हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्न

1. ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है ?
2. पंचायती राज व्यवस्था में एकरूपता संविधान के किस संशोधन द्वारा लायी गयी है ?
3. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है ?
4. नगर निगम का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ?
5. जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है ?
6. किन्हीं तीन स्थानीय स्वशासन की इकाईयों के नाम बताइये ?
7. ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के पदों के नाम बताइये ?
8. ग्राम सभा के प्रधान का निर्वाचन कितने वर्ष के लिए होता है ?
9. ग्राम सभा की सदस्यता के लिए निर्धारित आयु क्या है ?
10. ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है ?
11. जिलाधिकारी की नियुक्ति कौन करता है ?
12. जिला पंचायत के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए ?

श्रीमती इन्दू बाला शर्मा
'प्रवक्ता'
राजनीति विज्ञान
रा०इ०का०-मानले
मूनाकोट, पिथौरागढ़।